न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री करतार सिंह पूनियां, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 187/2022
आरसीएमएस नं. 2022/187

1. कुम्भाराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. मनीराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. रतीराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. सुल्तानराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी किकरालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

अपीलांटस ——

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र स्व.श्री लालूराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. जगदीश पुत्र स्व.श्री लालूराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. प्रेमचन्द पुत्र स्व.श्री लालूराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. साहबराम पुत्र स्व.श्री लालूराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. गोमती पत्नि स्व.श्री लालूराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. शारदा पत्नि कालूराम पुत्री स्व.श्री लालूराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंटस

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.05.2022
द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ़
अनवान इन्द्राज आदि बनाम कुम्भाराम आदि प्र. सं. 383/2021

उपस्थित :–
1. राजेश दीपराय, अधिवक्ता अपीलांटस
2. संतोष भाटी, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस
3. रविन्द्र कुमार भोभिया, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

:: निर्णय ::

दिनांक :– 10.01.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि रेस्पो0 सं0 1 ता 6 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट की कृषि भूमि चक 14 एनडीआर (सीएडी) रहित के खाता संख्या 77/87 के पत्थर नम्बर 153/49 के किला नम्बर 1 ता 16, 17/2/.165 कुल 4.213 हैक्टेयर कमांड है। इसी पत्थर नम्बर 153/359 के किला नम्बर 17/1/.089, 18 ता 23, 24/2/.089 कमांड कृषि भूमि अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण संख्या 1 ता 4 के खाता संख्या 54/71 में बहिस्सा बराबर दर्ज है। यह भी कथन किया गया कि पत्थर नम्बर 152/359 के किला नम्बर 21 ता 25 में 0.026 हैक्टेयर रास्ता पूर्व से पश्चिम स्वीकृतशुदा है जो कि पत्थर लाईन 151 के साथ साथ उत्तर दिशा में चलकर गांव नौरंगदेसर तक स्वीकृतशुदा है। प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण ने कथन किया कि यही रास्ता उनके गांव जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। पत्थर नम्बर 153/359 के किला नम्बर20, 21 की पश्चिमी सींव के साथ साथ दो बिस्वा चौड़ाई का रास्ता अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की सहमति से विगत 50 वर्ष से चल रहा है जिससे आवागमन कर प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट पत्थर नम्बर 153/359 के किला नम्बर 1 ता 17 में प्रवेश कर अपनी कृषि भूमि की सार सम्भाल करते हैं। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत किये गये कथनों को अंकित करते हुए कहा गया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने किला नम्बर 20 व 21 में चल रहे रास्ता को बाधित करने के उद्वेश्य से इस पर मिट्टी डालने की अवैध कार्यवाही की जिसका प्रत्यर्थीगण ने विरोध किया, परन्तु अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण किला नम्बर 20 व 21 में चल रहे रास्ता को बन्द करने की चेतावनी दी। इस प्रकार प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 14 एनडीआर (सीएडी) रहित के पत्थर नम्बर 153/359 के किला नम्बर 20 व 21 की पश्चिम सींव के साथ साथ दो गट्ठा चौड़ा रास्ता अर्थात 0.026 हैक्टेयर स्वीकृत करने की प्रार्थना की।

2. अपील के ज्ञापन की चरण संख्या–2 में अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये जवाब को उद्धवरित करते हुए कथन किया कि पत्थर नम्बर 153/359 के किला नम्बर 20 व 21 में व प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के किला नम्बर 10 व 11 में 1 बिस्वा चौड़ाई का रास्ता चालू होने का कथन करते हुए कहा गया कि किला नम्बर 10 व 11 में रास्ता चालू होने के कथन को प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने छिपाया है। यह भी कथन किये गये कि अप्रार्थी संख्या–2 मनीराम व अप्रार्थी संख्या–4 सुल्तानराम को घरेलू बंटवारा में मिली हुई कृषि भूमि में आवागमन हेतु किला नम्बर 10 व 11 में 1 बिस्वा रास्ता प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा छोड़ा हुआ था जिसे बन्द करना चाहा। अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने अपने जवाब में यह कथन किया कि उन्होनें प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट से निवेदन किया कि आप किला नम्बर 10 व 11 में 1–1 बिस्वा रास्ता मंजूर करवा दो और वे किला नम्बर 20 व 21 में 1–1 बिस्वा रास्ता मंजूर करवा देंगे। काउन्टर प्रार्थना पत्र में कुम्भाराम, मनीराम, रतीराम व सुल्तानराम के कब्जा काश्त की भूमि को दर्शाया गया है। कुम्भाराम के कब्जा काश्त में चक 14 एनडीआर (सीएडी) रहित खाता संख्या 54/71 के पत्थर नम्बर 152/359 के किला नम्बर 14, 15, 16/.126, पत्थर नम्बर 153/359 का किला नम्बर 19/.127 व 22 अप्रार्थी मनीराम के कब्जा काश्त में पत्थर नम्बर 152/359 का किला नम्बर 3, 4, 5/.126, पत्थर नम्बर 153/359 के किला नम्बर 20, 21, प्रार्थी सुल्तानराम के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कब्जा में पत्थर नम्बर 152/359 के किला नम्बर 5/.127, 6 व 7 एवं पत्थर नम्बर 153/359 का किला नम्बर 18, 19/.126 पूर्वी हिस्सा कब्जा में होने का कथन किया। काउन्टर प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किये गये कि कृषि भूमि पत्थर नम्बर 153/359 का किला नम्बर 10 व 11 की पश्चिमी सींव पर दक्षिण से उत्तर 1–1 बिस्वा चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण इन्द्राज आदि की सहमति से छोड़ा हुआ है जो हमेशा से चालू है। इस रास्ता के अलावा मनीराम व सुल्तानराम के कब्जा काश्त के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है इसलिए किला नम्बर 10 व 11 में 1–1 बिस्वा रास्ता मंजूर किया जावे।

3. काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत करते हुए कथन किये गये कि खाता संख्या 54/71 की कुल 4.2010 हैक्टेयर का बंटवारा जिस प्रकार से बताया गया है, नहीं हुआ है व घरेलू बंटवारा के सम्बंध में किये गये कथन मिथ्या हैं। काउन्टर प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण कुम्भाराम आदि सगे भाई हैं जिन्होनें चक 14 एनडीआर (सीएडी) रहित एवं गांव किकरालिया के चक 4 केकेएम व अन्य पोहड़का की संयुक्त परिवार की समस्त कृषि भूमि का परस्पर घरेलू विभाजन रिहायश की सुविधा के अनुसार किया हुआ है। गांव नौरंगदेसर में मनीराम स्थाई रूप से रहता है व उसके शेष भाई कुम्भाराम, रतीराम व सुल्तानराम स्थाई तौर पर गांव किकरालिया तहसील रावतसर निवास कर रहे हैं जिन्हें गांव किकरालिया रोही की समस्त कृषि भूमि घरेलू विभाजन में प्राप्त हुई है व चक 14 एनडीआर (सीएडी) रहित की कुल 4.201 हैक्टेयर मनीराम को प्राप्त हुई है व इस भूमि को केवल मनीराम ही काश्त करता है। मनीराम के शेष तीनों भाईयों की यहां कोई काश्त नहीं है व न ही कब्जा है। यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण रिश्तेदार हैं। काउन्टर प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण घरेलू कारणों से अप्रार्थीगण के साथ बेवजह रंजिश रखते हैं व बिना किसी आवश्यकता के उनकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाकर उसे गैर मुमकिन घोषित करवाकर क्षति पहुंचाना चाहते हैं। यह भी कथन किया कि यदि ऐसा घरेलू बंटवारा होता तो इस अनुसार तहसीलदार हनुमानगढ़ के समक्ष सभी प्रार्थीगण दर्शाए गए विभाजन के अनुसार खाता विभाजित करवा सकते थे। कथित घरेलू विभाजन कब हुआ व इसे कितना समय हुआ, इस सम्बंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किये गये हैं। यह भी कथन किया गया कि यदि इस प्रकार से विभाजन हुआ होता तो सभी प्रार्थीगण के नाम पानी की पर्ची, नहरी गिरदावरियां आदि भी कायम होती, परन्तु उनकी ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। यह भी कथन किया कि पत्थर नम्बर 153/359 के किला नम्बर 10 व 11 में पश्चिमी सींव पर अप्रार्थीगण ने कभी रास्ता नहीं छोड़ा व न ही कभी चालू रहा। इस जमीन में नरमा की फसल काश्त है व न्यायालय इस तथ्य को मौका निरीक्षण करवाकर जांच सकता है। यह भी कथन किये कि खाता संख्या 54/71 की समस्त 4.201 हैक्टेयर भूमि अकेले मनीराम को घरेलू बंटवारा से प्राप्त हुई है जिस पर उसी का ही कब्जा है सुल्तानराम का पत्थर नम्बर 152/359 के किला नम्बर 5/.127, 6 व 7 पर कब्जा नहीं है। किला नम्बर 5, 6, 15 की पूर्वी सींव के साथ साथ इस भूमि की सिंचाई के लिए जल सरणी बनी हुई है जो मौका पर देखी जा सकती है। पत्थर नम्बर 152/359 के किला नम्बर 21 ता 25 की दक्षिणी सींव पर सरकारी स्वीकृत रास्ता है। यह भी कथन किया कि यदि पत्थर नम्बर 153/359 के किला नम्बर 10 व 11 में कथित रास्ता चलने सम्बंधी जो कथन किये गये हैं, यदि ऐसा रास्ता होता तो उसका हवाला पटवारी/गिरदावर हल्का की रिपोर्ट में होता। अप्रार्थीगण ने किला नम्बर 10 व 11 में रास्ता स्वीकृत करने के निवेदन को अस्वीकार करते हुए काउन्टर प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया व इसके साथ यह भी कथन किया कि पत्थर

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नम्बर 153/359 के किला नम्बर 20 व 21 में 1–1 बिस्वा रास्ता न चलकर बल्कि 2–2 बिस्वा रास्ता मौके पर चल रहा है और इसी सम्बंध में गिरदावर व पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र को निरस्त करने के आदेश पारित किये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील के मीमो में अंकित सभी तथ्यों व अपील के आधारों को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस में कथन किया कि भू–अभिलेख निरीक्षक ने मौका देखने से पूर्व उन्हें सूचना नहीं दी व यह भी कहा कि पत्थर नम्बर153/359 के किला नम्बर 10, 11 में पश्चिम की ओर रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु जो प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, उसके सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार (राजस्व) से रिपोर्ट नहीं मंगवाई। यह भी कथन किया गया कि पत्थर नम्बर 153/259 के किला नम्बर 20, 21 में 1–1 बिस्वा रास्ता की एवज में रेस्पोडेंट ने पत्थर नम्बर 153/359 के किला नम्बर10, 11 में 1–1 बिस्वा रास्ता हेतु भूमि दी थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई विवेचना नहीं की। इसके अतिरिक्त रास्ता स्वीकृति से अपीलांट की भूमि दो भागों में विभक्त होने का भी कथन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त करने का निवेदन किया व विकल्प में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के संबंध में तहसीलदार राजस्व से रिपोर्ट मंगवाये जाने के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को नये सिरे से रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र व अपीलांट के काउन्टर क्लेम के निर्णय हेतु प्रकरण का रिमांड करने किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2016–2017 (सप्लीमेंट्री) पेज 597, आरआरटी 2016(2) पेज 1281, आरआरटी 2018(2) पेज 1193, आरआरटी 2018–2019 (सप्लीमेंट्री) पेज 343, डीएनजे 2021 (रेवेन्यू) पेज 1449, डीएनजे 2022 (1) पेज 639 एवं डीएनजे 2021 (रेवेन्यू) पेज 593 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।
6. अधीवक्ता रेस्पो0 ने अपनी लिखित बहस में उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि अपीलार्थीगण ने पत्थर नम्बर 153/359 के किला नम्बर 10, 11 की पश्चिमी सींव पर रास्ता चलने अथवा इसे रेस्पाडेंट के द्वारा अपीलार्थीगण को उपलब्ध करवाने के मिथ्या व आधारहीन कथन किये हैं जो महज प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट की रास्ता सम्बंधी जायज मांग को अस्वीकार कर उन्हें बिना किसी कारण से उनकी काबिल काश्त भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाकर क्षति पहुंचाने हेतु ऐसा कथन किया है जबकि ऐसी कोई स्थिति मौके पर न तो कभी थी व न ही मौजूद है। यह भी कथन किया गया कि अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को मौका निरीक्षण से पूर्व भू–अभिलेख निरीक्षक के द्वारा उन्हें सूचित किया गया था व मनीराम अपीलार्थी के पुत्रगण सर्व श्री राजेन्द्र जाखड़ व महेन्द्र जाखड़ मौका निरीक्षण के समय उपस्थित थे व गिरदावर हल्का के द्वारा बनाये गये मौका पर्चा पर इनके हस्ताक्षर भी करवाये गये थे। ऐसी अवस्था में अपीलार्थीगण का यह कथन कि मौका निरीक्षण की उन्हें जानकारी नहीं रही है, कतई गलत है। इसके साथ ही अपील अपीलार्थीगण को खारिज करने का निवेदन किया।
7. उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि चक 14

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

एनडीआर (सीएडी) रहित के पत्थर नम्बर 152/359 के किला नम्बर 21 ता 25 के दक्षिणी भाग में पूर्व पश्चिम रास्ता स्वीकृत है। यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट की भूमि जो कि पत्थर नम्बर 153/359 के किला नम्बर 1 ता 17 में वर्णितानुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज है, में आवागमन के लिए कोई स्वीकृत रास्ता मौजूद नहीं था। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के द्वारा पत्थर नम्बर 153/359 के किला नम्बर 20 व 21 की पश्चिमी दिशा में 2 बिस्वा चौड़ाई का रास्ता विगत् अवधि से चलायमान होना प्रकट किया है जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 04.12.2021 व भू–अभिलेख निरीक्षक नौरंगदेसर की रिपोर्ट दिनांक 21.12.2021 से बखूबी होती है। आई.एल.आर. ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि पत्थर नम्बर 153/359 मुरबा नम्बर 25 के किला नम्बर 20 व 21 के रास्ता से ही प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट इन्द्राज आदि आवागमन कर रहे हैं व उनके खेत से निकटतम दूरी के स्वीकृत रास्ते से यही रास्ता जोड़ता है व उनके आवागमन हेतु यही रास्ता सुविधाजनक है व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इस रास्ता को अत्यन्त आवश्यक होना बताया गया है व इसके साथ ही किला नम्बर 20 व 21 में पश्चिमी सीमा पर उत्तर दक्षिण 16½ फुट चौडाई में रास्ता दिये जाने की अनुशंषा भी की गई है। इसके साथ संलग्न मौका पर्चा कार्यवाही का भी अवलोकन किया गया जिसमें कथन किया गया है कि दिनांक 21.12.2021 को आदेश की पालना में मन राधेश्याम टाक भू–अभिलेख निरीक्षक, नौरंगदेसर चक 14 एनडीआर (सीएडी) रहित के पत्थर नम्बर 153/359 के किला नम्बर 20 व 21 पर पहुंचा इससे पूर्व अप्रार्थीगण को इतिला की गई। इतिला पर अप्रार्थी संख्या–2 के पुत्र राजेन्द्र व महेन्द्र उपस्थित मिले। मौका पर पटवारी श्री विनोद राव एवं ग्राम प्रतिहारी श्री भजनलाल तथा प्रार्थी संख्या–1 इन्द्राज उपस्थित थे। मौका पर्चा पर राजेन्द्र जाखड़ व महेन्द्र जाखड़ के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त इन्द्राज जाखड़, ग्राम प्रतिहारी श्री भजनलाल, पटवारी नौरंगदेसर एवं आई.एल.आर. नौरंगदेसर के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण का अपील के माध्यम से लिया गया यह आधार कि उनकी अनुपस्थिति में भू–अभिलेख निरीक्षण ने मौका निरीक्षण किया, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या–2 श्री मनीराम पुत्र श्री रामचन्द्र के पुत्रों सर्व श्री राजेन्द्र जाखड़ व महेन्द्र जाखड़ के हस्ताक्षर होने से उनकी उपस्थिति स्पष्ट होती है। इन हस्ताक्षरों को अपीलार्थीगण के द्वारा झुठलाया नहीं गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी कुम्भाराम व सुल्तानराम के कब्जा काश्त की कृषि भूमि को प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के द्वारा उपलब्ध करवाए गए रास्ता वाकै पत्थर नम्बर 153/359 के किला नम्बर 10 व 11 को स्वीकृत न कर तथ्यात्मक व विधिक भूल की है, स्वीकार किये जाने योग्य दलील नहीं पाई जाती है। सर्वप्रथम अपीलार्थीगण ने अपने मध्य कृषि भूमि का जो बंटवारा होना कथित किया गया है व काउन्टर प्रार्थना पत्र में दर्शाए अनुसार अलग अलग किलों पर अपना जो कब्जा होना बताया गया है उसके समर्थन में कोई भी दस्तावेज अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। किला नम्बर 10 व 11 जो कि पत्थर नम्बर 153/359 की पश्चिमी सींव के साथ साथ जो 1–1 बिस्वा रास्ता होना बताया गया है, उसके सम्बंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। यहां तक कि अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौके की जांच करने के सम्बंध में कोई प्रार्थना ही की जाना प्रकट नहीं हो रहा है। जबकि इसके विपरीत रेस्पोडेंट के द्वारा किला नम्बर 10 व 11 में किसी भी प्रकार के रास्ता के मौजूद होने की स्थिति को स्पष्ट तौर पर इन्कार किया गया है व मौका पर इसमें

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

काश्त की जानी बताई गई है। स्वयं अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह माना है कि पत्थर नम्बर 153/359 के किला नम्बर 20 व 21 में रास्ता मौजूद है परन्तु इसके साथ ही इस रास्ते की चौड़ाई 1 बिस्वा होना प्रकट किया है जिसका समर्थन पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से नहीं होता है। ऐसी अवस्था में न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में और अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के काउन्टर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने में कोई तथ्यात्मक व विधिक भूल नहीं की है। इसके अतिरिक्त यह स्थिति भी न्यायालय के समक्ष प्रकट हुई है कि अपीलार्थीगण की अधिकांश कृषि भूमि पत्थर नम्बर 152/359 में अवस्थित है जबकि पत्थर नम्बर 152/359 के किला नम्बर 21 ता 25 में दक्षिणी तरफ रास्ता स्वीकृत है। ऐसी स्थिति में यदि विभाजन की स्थिति अपीलार्थीगण के मध्य होती भी तो वे उपरोक्त स्वीकृत रास्ता तक पत्थर नम्बर 152/359 में ही रास्ता की व्यवस्था कर सकते थे, परन्तु ऐसा न कर दूसरे मुरब्बा में रास्ता की मांग करना भी सद्भावी होना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी अवस्था में इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण अपील को स्वीकार करने के सम्बंध में किसी भी स्थिति को साक्ष्य से अथवा विधिक आधार पर प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

8. उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाण्ति प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.1.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.1.23

(करतार सिंह पुनिया)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़